उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद – 52/2021

रविन्द सिंह बनाम् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं तेजिन्दर सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
20.12.2022	यह वाद अपीलार्थी रविन्द्र सिंह, पिता–स्व० जोध सिंह, सा०–गुरूनानक मुहल्ला, रामगढ़ कैन्ट, पो०–रामगढ़, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–22/2018–19 रविन्द्र सिंह बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ वगै० में दिनांक–15.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–रामगढ़ थाना सं०–82 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–35 प्लॉट नं०–436 रकवा–0.04 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–रामगढ़ थाना सं०–82 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–35 प्लॉट नं०–436 रकवा–0.04 ए० भूमि से संबंधित है। उक्त भूमि रैयती खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–II में पेज नं०–72 पर मेरे पिताजी जो जोध सिंह के नाम से कायम है। उक्त भूमि उन्हे आपसी परिवारिक बटवारे के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। लेकिन जोध सिंह के पुत्र हरदयाल सिंह के द्वारा उक्त भूमि अपने पुत्र तेजिन्दर सिंह को केवाला कर दिये। जबकी उक्त भूमि हरदयाल सिंह के हिस्से की भूमि नहीं है। उक्त केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा 15 दिनों के अन्दर दाखिल खारिज कर तेजिन्दर सिंह के नाम से पंजी–II पेज नं०–120/40 पर जमाबंदी कायम कर दी गई। जो नियम संगत नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि जब उक्त भूमि हरदयाल सिंह के हिस्से की ही नही तो उनके द्वारा केवाला करना गलत है। उन्होनें भूमि सुधार उप	

समाहर्त्ता, रामगढ़ दिनांक–15.03.2021 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किये है। विपक्षी के द्वारा ना तो जवाब दाखिल किया गया, और ना ही कागजात प्रस्तुत किया गया। अर्थात विपक्षी को उक्त वाद के संबंध में किसी प्रकार की अभिरूचि नहीं प्रतीत होता है। लेकिन विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि उक्त भूमि से संबंधित स्वत्व का मामला चल रहा है। लेकिन उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में कागजात प्रस्तुत करने में विफल रहें। उन्होनें रिवीजन आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–रामगढ़ थाना सं०–82 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–35 प्लॉट नं०–436 रकवा–0.04 ए० भूमि रैयती खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उनके पिता जोध सिंह के हिस्से की भूमि को हरदयाल सिंह के द्वारा अपने पुत्र को केवाला कर दिया गया। विपक्षी के द्वारा किसी भी प्रकार का लिखित अभिकथन एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना संदेह उत्पन्न करता है। मामला आपसी बँटवारा का प्रतीत होता है। जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में ही संभव है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–22/2018–19 रविन्द्र सिंह बनाम अंचल अधिकारी, रामगढ़ वगै० में दिनांक–15.03.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
20.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
20.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.02.17 14:35:21 +05:30
Location: 192.168.0.13